प्रेस विज्ञप्ति

संदर्भ : - दिनांक : 29-04-2015

मोटर वाहन बीमा जागरूकता अभियान - सैबराबाद

भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) ने सैबराबाद पुलिस के सहयोग से नोवोटेल हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद में 29 अप्रैल 2015 को आयोजित एक समारोह में `मोटर वाहन बीमा जागरूकता अभियान' प्रारंभ किया है। इस अवसर पर श्री एम. रामप्रसाद, सदस्य, आईआरडीएआई, श्री सी. वी. आनंद, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, सैबराबाद, बीमा उद्योग व पुलिस के अन्य अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे।
सड़क दुर्घटनाएँ ऐसी दुःखद घटनाएँ हैं जिनमें ऐसी मानवीय पीडा शामिल है जिसका सम्बंध असामयिक मृत्यु, क्षति और उत्पादकता की हानि से है । अनेक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि राष्ट्र-व्यापी तौर पर सड़क पर चलनेवाले अनेक वाहनों का बीमा नहीं किया गया है। यह समग्र रूप में समाज के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है तथा विशेष रूप से दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में अत्यंत कष्टकारी होता है। मोटर तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अनिवार्य है तथा सड़क के सभी उपयोगकर्ताओं के हित में उक्त सांविधिक अपेक्षा का पालन सुनिश्चित करना सभी पक्षकारों का दायित्व है।

सैबराबाद पुलिस आयुक्तालय ने आईआईबी के सहयोग से सैबराबाद महानगरीय पुलिस अधिकार-क्षेत्र के अंदर अबीमाकृत वाहनों की पहचान की है। 1 मई 2015 से प्रारंभ करते हुए सैबराबाद में स्थानीय बीमाकर्ताओं द्वारा एक 15 दिवसीय **"मोटर वाहन बीमा जागरूकता अभियान"** आयोजित किया जाएगा जिसमें समूचे सैबराबाद क्षेत्र में स्थापित लगभग 100 बूथों (कियोस्कों) के माध्यम से स्थान पर बीमे की खरीद की विशेष व्यवस्थाएँ करने के साथ-साथ वाहनों के मालिकों को मोटर बीमा के लाभों के बारे में बताया जाएगा। तथापि, उक्त अभियान के दौरान और उसके पश्चात भी वाहन मालिकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे किसी भी साधारण बीमा कंपनी के शाखा कार्यालय से अथवा सैबराबाद यातायात पुलिस वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से बीमा खरीदें।

यह पहल बाकी देश के लिए एक आदर्श मॉडल हो सकता है जहाँ अभी भी बीमा न किये गये वाहनों का चलन एक बड़े पैमाने पर संकट बना हुआ है। यह भी उम्मीद है कि आईआईबी ऐसे अभियन दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आरम्भ करेगा ।

सभी प्रतिलिप्यधिकार सुरक्षित 2013 आईआरडीए